कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक 1260 /3–2, रामनगर , दिनॉक 11 /03/2024

सेवा में,

सम्पादक,

1. अमर उजाला
2. दैनिक जागरण
3. हिन्दुस्तान

विषयः– वानिकी/सिविल कार्यो के सम्पादन हेतु ठेकेदार/फर्मो के पंजीकरण के संबंध में।

महोदय,

इस वन प्रभाग के वर्ष 2023–2024 में राजकीय कार्यो तथा वानिकी कार्यो के सम्पादन हेतु ठेकेदारों/फर्मो के पंजीकरण हेतु निम्न विज्ञापन अपने स्थानीय समाचार पत्रों में 6x6 cm प्रकाशित कराने का कष्ट करें। प्रकाशन के बाद न्यूनतम (डी0ए0पी0) दरों पर बिल दो प्रतियो में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर, (नैनीताल)

वर्ष 2024–2025 के वानिकी/सिविल कार्यो के सम्पादन हेतु अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर के अभियांत्रिक रेंज रामनगर, सल्ट रेंज मानिला, रिंगलाना रेंज रिंगलाना, धुमाकोट रेंज धुमाकोट व नैनीडांडा रेंज नैनीडांडा के अन्तर्गत ठेकेदारों/फर्मो का पंजीकरण किया जा रहा है। पंजीकरण प्रपत्र (रू0 1500/– जी0एस0टी0, अतिरिक्त) दिनांक 15–03–2024 से 26–03–2024 तक उल्लिखित रेंजों से विक्रय किये जायेंगें। ठेकेदार/फर्म द्वारा पंजीकरण प्रपत्र भरकर मय संलग्नकों सहित दिनांक 29–03–2024 तक संबन्धित रेंज में जमा किया जायेगा। उक्त तिथियों के बाद न तो पंजीकरण फार्म का विक्रय होगा न ही जमा किये जायेंगे।

पंजीकरण हेतु समस्त शर्तो व आवश्यक दस्तावेजों की सूची रेंज कार्यालयों अथवा विभागीय वेबसाईट www.forest.uk.gov.in में देखी जा सकती है।

प्रभागीय वनाधिकारी
अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर

भवदीय,

(प्रकाश चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर।

पत्रांक 1260 /3–2/उक्त दिनांकितः–

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी, आई0टी0सैल, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादुन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पंजीकरण सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपिः– समस्त वन क्षेत्राधिकारी, अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित।

(प्रकाश चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी
अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर।

वानिकी कार्यों हेतु ठेकेदारों के पंजीकरण की शर्तें/दिशा निर्देश–

1.

1.1 कोई भी भारतीय नागरिक पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है। परन्तु कार्य क्षेत्र के निकटवर्ती ग्रामों या पारम्परित रूप से वन क्षेत्रों में निवासरत व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी परन्तु **प्रतिबन्ध यह होगा कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर निवास कर रहे व्यक्तियों का पंजीकरण नहीं किया जायेगा।**

1.2 राज्य सरकार अथवा भारत सरकार का कोई भी कर्मचारी, सरकारी कम्पनी तथा सरकारी संस्थाओं में कार्यरत व्यक्ति पंजीकरण हेतु पात्र नहीं होगा।

1.3 पंजीकरण के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा आवेदन के साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता नम्बर, आई. एफ.सी. कोड, जी0एस0टी0 नम्बर, कार्य के अनुभव तथा सक्षम स्तर से जारी वैध चरित्र प्रमाण पत्र आदि का विवरण एवं स्वतः प्रतिहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

1.4 वानिकी कार्यों हेतु (रू0 2.50 लाख से कम के कार्य) ठेकेदार का पंजीकरण रेंज स्तर पर किया जायेगा। प्रभाग के किसी एक रेंज में पंजीकृत ठेकेदार प्रभाग की अन्य रेंजों में कार्य करने हेतु अधिकृत होंगे।

1.5 ठेकेदारों का पंजीकरण एक वित्तीय वर्ष (2024–2025) हेतु मान्य होगा।

1.6 एक वर्ष हेतु पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क की धनराशि रू0 1500.00 (एक हजार पांच सौ) मात्र एवं जी.एस.टी. अतिरिक्त होगा।

1.7 वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु धरोहर धनराशि रू0 50,000/– राष्ट्रीय बचत पत्र/किसान विकास पत्र/बैकों की एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 के रूप में जमा करना होगा, जो कि **प्रभागीय वनाधिकारी, अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर** के नाम निरूपित (Pledge) होगा। यह जमानत की धनराशि कार्य सन्तोषजनक नहीं किये जाने पर जब्त की जा सकेगी एवं ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा। जमानत की धनराशि वित्तीय वर्ष 2024–2025 की समाप्ति के पश्चात् अवमुक्त की जायेगी।

1.8 वन विभाग में वानिकी कार्यों में पूर्व में कार्यरत रहे व्यक्तियों तथा वन/कृषि विभाग की फील्ड सेवाओं से जुड़े व वर्तमान में सेवानिवृत्त कार्मिकों को पंजीकरण में वरीयता दी जायेगी।

1.9 इच्छुक व्यक्ति को इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा कि उसके ऊपर किसी भी विभाग की कोई देनदारी नहीं है ताकि उसे किसी भी विभाग/अभिकरण द्वारा राजकीय कार्यों हेतु कालीसूची में अंकित नहीं किया गया है।

1.10 पंजीकृत ठेकेदारों को एक शपथ पत्र देना होगा जिसमें यह भी अंकित करना होगा कि राजकीय कार्यों के ठेके पर निस्तारण के क्रम में समस्त देय टैक्स/फीस/जी0एस0टी0/सैस एवं अन्य स्थापित देय प्रचलित देयको आदि का भुगतान उसके द्वारा स्वयं किया जायेगा।

1.11 ठेकेदार के रूप में पंजीकरण मात्र से उन्हें कार्य आवंटित किये जाने की कोई गारन्टी नहीं होगी।

1.12 पंजीकृत ठेकेदार के लिये आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी न्यूनतम मजदूरी आदेशों के तहत श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करें। न्यूनतम मजदूरी का उल्लंघन करने पर विधिक कार्यवाही हुेत पंजीकृत ठेकेदार पूर्ण रूप से स्वयं जिम्मेदार होगा।

1.13 पंजीकृत ठेकेदार को आवंटित कार्य को करने हेतु वन क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व संबंधित वन क्षेत्राधिकारी से अनुमति लेनी आवश्यक होगी एवं कार्य का समय सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य का होगा। सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात् कार्य की अनुमति नहीं दी जायेगी।

1.14 पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा कार्यों को कराये जाने हेतु स्थानीय श्रमिकों को वरीयता दी जायेगी।

2. आवेदन पत्रों की जांचः–

2.1 इच्छुक व्यक्तियों से पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच रेंज स्तर पर की जायेगी। इच्छुक व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों का विवरण सूचीबद्ध कर रेंज में संधारित किया जायेगा ।

2.2 रेंज द्वारा प्रपत्र–2 (संलग्न) में पंजीकृत ठेकेदारों का पूर्ण विवरण संधारित किया जायेगा। इसकी एक प्रति मानचित्रकार एवं लेखा शाखा को उपलब्ध करायी जायेगी।

2.3 जांच के उपरान्त उपयुक्त पाये गये समस्त ठेकेदारों को रेंज स्तर से रेंज अधिकारी द्वारा मुहर लगे हुए हस्ताक्षरित पंजीकरण पत्र उपलब्ध कराये जायेगे।

3. पंजीकरण का निरस्तीकरण–

3.1 प्रत्येक ठेकेदार का पंजीकरण सम्बन्धित रेंज में एक वित्तीय वर्ष हेतु किया जायेगा। पंजीकृत ठेकेदारों की कार्य क्षमता के आधार पर अनुपयुक्त पाये गये ठेकेदारों का पंजीकरण निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण न करने की दशा में रेंज अधिकारी द्वारा निरस्त किया जायेगा।

3.2 वानिकी कार्यों के सम्पादन के दौरान पंजीकृत ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा यदि भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 आदि वन कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी द्वारा ऐसे ठेकेदारों का पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा।

3.3 ठेकेदार के पास कार्य के सम्पादन हेतु पर्याप्त संख्या में उपकरणों के न होने की दशा में तकनीकी अथवा वित्तीय

संसाधनों के अभाव में प्रभागीय वनाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार का पंजीकरण अपने स्तर से निरस्त कर सकें।

3.4 पंजीकरण की प्रक्रिया में गलत या अवैध प्रमाण पत्रों का उपयोग होने की दशा में ऐसे पंजीकरण को रेंज अधिकारी के स्तर से निरस्त किया जा सकेगा।

3.5 यदि कोई ठेकेदार प्रचलित श्रम कानूनों अथवा नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसका पंजीकरण निरस्त करने का अधिकार प्रभागीय वनाधिकारी को होगा।

4. **कालीसूची**– किसी भी पंजीकृत ठेकेदार को निम्न में से किसी भी एक अथवा अधिक अग्रलिखित कारणों से कालीसूची में घोषित किया जा सकता है। कालीसूची में घोषित करने का अधिकार उप प्रभागीय वनाधिकारी से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम निर्णय प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा आदेश पारित किये जाने के उपरान्त लिया जा सकेगा।

4.1 किसी ठेकेदार अथवा उसके किसी भी कर्मचारी के द्वारा यदि कोई गैर कानूनी कार्य (रिश्वत/घूस इत्यादि) किया जाता है, अवैध रूप से पंजीकरण प्राप्त किया जाता है अथवा राजकीय कार्यों के सम्पादन में अवरोध उत्पन्न किया जाता है अथवा कार्यों को अवैध रूप से पूर्ण दर्शाया जाता है।

4.2 यदि कोई ठेकेदार अथवा उसका साझेदार या उसका कोई ऐजेन्ट जो कि किसी भी समय वानिकी कार्यों के निष्पादन में सम्मिलित हो, को यदि किसी न्यायालय के द्वारा किसी नैतिक मूल्यों के ह्रास के कारण अथवा व्यावसायिक लेन–देन के सम्बन्ध में दण्डित किया जाता है।

4.3 राज्य सरकार के द्वारा प्राविधानित सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने के कारण।

4.4 यदि किसी ठेकेदार अथवा उसका पार्टनर अथवा उसका ऐजेन्ट किसी राजकीय कर्मचारी को भ्रष्ट बनाने की कोशिश करता हुआ पाये जाने पर।

5. **अपील–**

5.1 रेंज अधिकारी के द्वारा इच्छुक व्यक्तियों के पंजीकरण को अस्वीकार करने या निरस्त करने अथवा कालीसूची में घोषित किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को अभिलेखित किया जायेगा और पंजीकरण को अस्वीकार करने, निरस्त करने अथवा कालीसूची में घोषित करने का कारण बताते हुए ऐसे व्यक्ति को सूचित किया जायेगा।

5.2 पंजीकरण/कार्य आवंटन सम्बन्धी किसी विवाद की स्थिति में प्रथम प्रतिवेदक उप प्रभागीय वनाधिकारी आर्बिटेशन करेंगे तदोपरान्त प्रतिरोध स्वरूप सम्बन्धित ठेकेदार को उप प्रभागीय वनाधिकारी से उच्च अधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी, अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर के सम्मुख ऐसे पंजीकरण/कार्य आवंटन सम्बन्धी किसी विवाद के विरूद्ध अपील कर सकेगा। इस प्रकार की अपील उप प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा दिये गये निर्णय से अधिकतम 01 माह के अन्तर्गत प्रभागीय वनाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा। अपीलीय अधिकारी (प्रभागीय वनाधिकारी) के द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

6. **पंजीकरण का नवीनीकरण–**

6.1 पंजीकरण एक वित्तीय वर्ष 2024–2025 की समाप्ति के उपरान्त स्वतः निरस्त समझा जायेगा, इस निश्चित अवधि के बाद इच्छुक ठेकेदार/आवेदनकर्ता को पंजीकरण के नवीनीकरण के लिये नये सिरे से नियमानुसार पुनः आवेदन करना होगा।

6.2 **पूर्व से पंजीकृत ठेकेदार इस वर्ष भी पुनः पंजीकरण कराना चाहते हैं तो उन्हें उसी रेंज में पंजीकरण शुल्क एवं धरोहर धनराशि जमा कर मात्र फार्म भरना होना, अन्य प्रपत्र जमा करने की अनिवार्यता नहीं होगी। यदि पूर्व पंजीकृत ठेकेदार किसी अन्य रेंज में पंजीकरण कराना चाहता है तो उसे सभी प्रकार के आवश्यक प्रपत्रों को जमा किया जाना अनिवार्य होगा।**

7. सक्षम अधिकारी/उप प्रभागीय वनाधिकारी के संज्ञान में यदि किसी ठेकेदार के विरूद्ध लगाये गये किन्हीं आरोपों के क्रम में अपराधिक जांच जारी होने का प्रकरण आता है तो ऐसे ठेकेदार को उसके द्वारा कराये जा रहे वानिकी कार्य के सम्पादन से निलम्बित किये जाने का अधिकार सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी में निहित होगा। उप प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा इस प्रकार के आदेश पारित कर ऐसे ठेकेदार को सूचित किया जायेगा।

8. **निलम्बन वापसी**– किसी ठेकेदार को कालीसूची में हटाने, पंजीकरण पुनः उपलब्ध कराने अथवा उसके द्वारा कराये जा रहे वानिकी कार्यों में लगाये गये प्रतिबन्ध को हटाने का निर्णय प्रभागीय वनाधिकारी के द्वारा इस प्रकार के आदेश पारित किये जाने के उपरान्त लिया जा सकेगा।

9. **विशेषः**– प्रभागीय वनाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे उक्त शर्तों में से किसी शर्त को हटा सकते हैं या नई शर्त जोड़ सकते हैं।

प्रभागीय वनाधिकारी
अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रामनगर